FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गोरखाराम बनाम मोटाराम वगैरह

रकम मुकदमा रा० का० 183/188 नं. 69/17 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा 183, 188, 208 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/7/2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/7/17	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 8/8/17 को पेश हों।	
8/8/17	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 8/11/17 को पेश हों।	
8/11/17	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/1/18 को पेश हों।	
16/1/18	12/3/18	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

12/03/18 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के समन तामिल कदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 28/05/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

28/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यो मे व्यस्त हैं। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 30/10/18 को पेश हो।

30/10/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त हैं। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 19/12/18 को पेश हो।

19/12/18 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 5/3/19 को पेश हों।

5/3/19 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 20/5/19

20/5/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 8/7/19 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

...व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण के समन तामील अदमतामील अप्राप्त। वादी वकील पुन: पेश करें। पीठासीन अधिकारी अन्य दोपहर डिगार कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी दिनांक 20/8/19 को पेश हो।	
20/8/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। पूर्व आदेशों की पालना करें। पीठासीन अधिकारी डिगार कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के समन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगार कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 27/11/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/11/19	वादी वकील उप० / प्रतिवादीगण के सम्मन पूर्व में वादी वकील द्वारा रजिस्टर्ड भेजे गये जिनको करीब 2 माह से अधिक हो चुका है पीठासीन अधिकारी अवकाश में विराजते है पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13/1/20 को पेश होवे।
13/01/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण अनु० / श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो में व्यस्त होने से मिसल ईलत्वा होकर आगामी दिनांक 26/02/2020 को पेश हो।
26/02/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जिनको करीब 5 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिकृत उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: बाबत वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 15/04/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 26.2.20

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) ... बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/06/20 को पेश हो। ह	ह/-
10/06/2020	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2, PW-3 व PW-4 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 15/07/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलेक्टर (प्रथम) [illegible]	नि.अं. [illegible] नि.अं. [illegible] नि.अं. [illegible]
15/07/20	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 69/2017

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

गोरधनराम पुत्र भैराराम जाति जाट
निवासी कालानाडा, झाक तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

1. मोटाराम पुत्र दानाराम
2. दानाराम पुत्र उगराराम
3. अमराराम पुत्र पूराराम
   जाति जाट निवासी थलेसों की ढाणी, झाक तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
4. तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

–: निर्णय :– **दिनांक** : 15/07/2020

वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थलेसों की ढाणी पटवार मंडल झाक तहसील बायतु में उसकी खातेदारी का खेत ख. न. 503/397 रकबा 60 बीघा आया हुआ है। वादी ने यह रकबा तत्कालीन खातेदार मुस्मात पारू बैवा किरता से दिनांक 05.03.2001 को पंजीबद्ध दस्तावेज से प्रतिफल की रकम का विक्रेता को भुगतान कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और तब से वादी इस वादग्रस्त खेत ख. नं 503/397 रकबा 60 बीघा का विधिमान्य खातेदार है। वादी द्वारा अपने इस खेत की वर्ष सन् 2006 में, न्यायालय से आदेश प्राप्त कर नेखमबन्दी भी करवाई थी। इसी खेत में वादी की रहवासी ढाणी बनी है। वादी का मूल निवास स्थल ग्राम कालानाडा तहसीन बायतु में है परन्तु बरसात होने पर काश्त के समय वादी अपने इस खेत में काश्त करता है तथा इसी खेत में ढाणी में रहवास करता है।

प्रतिवादी सख्या 1 से 3 वादी की खातेदारी के वादग्रस्त खेत के पड़ोसी है, जिन्होने इस वाद के दायर करने से करीब 15 दिन पूर्व, वादी के खेत में वादी की अनुपस्थिति में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर इसमें बनी ढाणी में रहवास प्रारंभ कर दिया तथा करीब 10 दिन पूर्व वादी अपने खेत को बुआई हेतू तैयार करने के लिये सूड़ करने गया तो देखा कि वादी के खेत में बनी ढाणी में प्रतिवादीगण बैठे है और जब उन्हें इस प्रकार बैठे देखा तो बैठने का कारण पूछा, तो उन्होने यही कहा कि उन्होनें ढाणी पर कब्जा कर लिया है तथा वे इसी ढाणी में रहेगें और वादी का इसमें प्रवेश नहीं करने देंगे, तथा उनके कथन का वादी ने विरोध किया तो वे झगड़ा करने पर उतारू हो गये।

प्रतिवादीगण के इस व्यवहार से पीड़ित होकर वादी ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर प्रतिवादीगण को समझाने व ढाणी व खेत का कब्जा वादी को दिलाने का कहा जिसकी पंचायती होने पर प्रतिवादी ने आराजी का कब्जा उन प्रतिष्ठित लोगों के सामने वादी को सौपने का आश्वासन दिया परन्तु अपना अनाधिकृत कब्जा हटाने के बजाय, वादग्रस्त आराजी में पक्का निर्माण कराने हेतु तैयार हो गये और इसका विरोध करने पर वे वादी के साथ मारपीट पर उतारू हो गये जिस पर प्रतिवादीगण को ऐसा न करने हेतु प्रतिष्ठित लोगों से कहलवाया परन्तु प्रति[illegible] कि वे सम्पूर्ण खेत पर कब्जा कर लेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

.स्त आराजी व उसमें बनी ढाणी वादी के स्वामित्व की है, प्रतिवादी को इसमें प्रवेश करने ढाणी .धिकृत रूप से कब्जा कर आवास प्रारंभ करने तथा नया निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम थलेसो की ढाणी में स्थिन वादी की खातेदारी की भूमि के ख. न. 503/397 रकबा 60 बीघा की भूमि व उसमें बनी ढाणी से प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाते हुए उन्हें वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाय व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाय कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करे, यह भी निवेदन किया कि वादी को वाद व्यय के साथ अन्य कोई सहायता जो साबित हो दिलाई जाय।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगणों को वास्ते जवाबदावा जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण के समन वापिस न लौटने पर समन जरिये डाक रजिस्ट्री पोस्ट मय ए.डी. भेजे गये, परन्तु दो माह की अवधि उपरांत वो स्वयं प्रतिवादीगण मे से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न समनों की ए.डी. रसीद वापिस प्राप्त हुई फलतः प्रतिवादीगण की तामील मानते हुए दिनांक 26.02.2020 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर वादी को अपनी साक्षी व सबूत पेश करने के निर्देश दिये गये।

वाद के तथ्यों की पुष्टि में साक्ष्य में स्वयं वादी गोरधनराम, इस आराजी की विक्रेता मुस्मात पारू तथा स्वंतत्र गवाह कानाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट व आसुराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी थलेसो की ढाणी के शपथपत्र पेश किये। जिन्होनें एक राय में वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी व उसमें बनी ढाणी वादी की खातेदारी की है। यह आराजी उसने मुस्मात पारू से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पड़ोसी है उन्होने अवैध रूप से वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर अनाधिकृत रूप से ढाणी पर कब्जा कर लिया। बलपुर्वक खेत व ढाणी में बैठे है। वादी इस वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कर वापिस कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है दस्तावेजों सबूत में नकल चौसाला जमाबंदी प्रदर्शन -1 तथा नकल नक्शा प्रदर्शन-2 व नकल पंजीबद्ध विकय पत्र जिससे वादी ने वादग्रस्त आराजी कय की प्रदर्शन 3 एवंम्र नेखमबंदी स्थिति की नकल प्रदर्शन पेश हुई।

एक पक्षीय बहस सुनी गई- विद्वान वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का विधि मान्य खातेदार है, प्रतिवादी गण सं. 1 से 3 इस वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार है और न उन्होंने इस खेत व खेत में बनी ढाणी में वादी की अनुमति से प्रवेश किया है प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी में अवैध रूप से प्रवेश किया है व अवैध रूप से कब्जा बनाये रखा है और इन समस्त बिन्दुओं के आधार पर प्रतिवादीगण अतिचारी/ अतिकमी है जिन्होंने वादी की वादग्रस्त खातेदारी जोत में अवैध रूप से प्रवेश किया तथा खेत में बनी ढाणी में अनाधिकृत रूप से आवास प्रारंभ किया तथा मौजुदा समय से कब्जा बनाये हुए है व निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाय इन पर अर्थदण्ड कायम किया जाय साथ ही 2019 आर.बी.जे. 10 नारायणी के वारीसान बनाम तुलसीराम का न्यायहस्तैत प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि रा. का. अ. की धारा 209 के संदर्भ में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण प्रत्येक सं. 1 से 3 सं वादग्रस्त आराजी मय ढाणी का कब्जा प्राप्त होने तक प्रति कृषि वर्ष प्रत्येक प्रतिवादी सं. 1 से 3 से रु दस-दस हजार क्षतिपुर्ति के रूप में वादी को दिलाये जाय साथ ही वाद व्यय भी दिलाया जाय।

हमने प्रकट तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली उसमे आई साक्षी व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया यह भली प्रकार साबित है कि वादग्रत आराजी खेत खं. नं. 503/397 रकबा 60 बीघा ग्राम थलेचों की ढाणी तहसील बायतु का वादी विधि मान्य खातेदार है। यह भी साबित है कि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्ध तौर से प्रवेश कर उस आराजी व उसमें बनी ढाणी पर कब्जा कर लिया इस प्रकार साबित है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में अतिकमी है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 एक पक्षीय स्वीकार किया जाता है, तथा वादग्रस्त आराजी मौजा थलेसों की ढाणी के खेत खं. नं. 503/397 रकबा 60 बीघा व उसमें बनी ढाणी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

ण को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है तथा उनके बेदखल पर वादी पुनः कब्जा करें व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त खातेदारी में वादी के कब्जा काश्त व अन्तास में हस्तक्षेप न करे। खर्चा वाद पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

गोरधनराम पुत्र भैराराम जाति जाट
निवासी कालानाडा, झाक तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

1. मोटाराम पुत्र दानाराम
2. दानाराम पुत्र उगराराम
3. अमराराम पुत्र पूराराम
   जाति जाट निवासी थलेसों की ढाणी, झाक तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
4. तहसीलदार बायतु

दावा बाबत 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–69 / 2017. **निर्णय दिनांक :–** 15/07/2020

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/07/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा थलेसों की ढायी के खेत ख. नं. 503 / 397 रकबा 60 बीघा तथा उसमें बनी ढाणी से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है तथा उनके बेदखल पर वादी पुनः कब्जा प्राप्त करें व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादी की उक्त वादग्रस्त खातेदारी में वादी के कब्जा काश्त व अन्तास में हस्तक्षेप न करें। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार पालना करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested